

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Iresh Swami

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yaliker
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN
Annamalai University, TN

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भूमिका : दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में

Dr. Seema Jaiswal

Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai.

सारांश :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन ग्रामीणों को जो शारीरिक श्रम करने को तैयार है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना रोजगार गारंटी के साथ उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण व विकास करने तथा गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है।

प्रस्तावना :-

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ की थी। जिसमें से 83.35 करोड़ ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत थी परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या 134 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार का मुख्य व्यवसाय सामान्यतः कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। जो अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक रूप में विद्यमान है। हमारे देश में



बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों का अभाव है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अतः रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतु व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2008 से यह कानून

भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध का उद्देश्य:-

शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :-

- 1.मनरेगा में महिलाओं में सशक्तिकरण में वृद्धि करना।
- 2.मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
- 3.मनरेगा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना।

शोध प्रविधि :-

शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामग्री, समक व सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। प्राप्त समकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध में प्राप्त समकों को आवश्यक जांच व विश्लेषणात्मक तुलना करने के बाद ही सम्मिलित किए गए हैं। शोध प्रबंध में सांख्यिकीय परिसीमाओं व अपवादों को भी ध्यान में रखा गया है। इनके अलावा प्रश्नावली का चयन, निदर्शन विधि का उपयोग,

समकों का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

परिकल्पना:-

प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना की गई है।

- 1.ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
- 2.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगी।

मनरेगा का परिचय:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 150 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पश्चात् प्रथम चरण में इस

योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिले में लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007-08 में 130 जिले इसमें और शामिल किये गये तत्पश्चात् 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यह योजना भारत सरकार की योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास हेतु लागू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निम्न उद्देश्य हैं :-

- i) ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना।
- ii) स्थायी परिसम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- iii) ग्रामीण भारत में सूखा - बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।
- iv) समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।
- v) गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के जरिए विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजना को मजबूत बनाना।
- vi) जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।
- vii) शासन में अधिक पारदर्शित और जवाबदेही लाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।

आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण :-

छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा और घनी आबादी वाला जिला दुर्ग जिला है यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। तथा दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का पांचवा संभाग बना।


दुर्ग जिले के विकासखण्डवार पंचायतों एवं ग्रामों की संख्या 2016 की स्थिति के अनुसार

विकासखण्ड	कुल पंचायत	कुल ग्राम
दुर्ग	72	80
धमधा	116	162
पाटन	109	146
कुल	297	388

तालिका क्रमांक 1 दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक

क्र.	ब्लाक	वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17		
		कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत
1.	दुर्ग	709102	551469	78%	871783	693309	80%	349038	274509	79%	531760	430918	81%	411199	323754	79%
2.	धमधा	997026	546228	55%	1158560	659113	57%	666082	375816	56%	575546	343044	60%	416973	236632	57%
3.	पाटन	1334669	791045	59%	1481297	925959	63%	749037	465168	62%	842918	553370	66%	795227	488707	61%
	कुल	3040797	1888742	62%	3511640	2278381	65%	1764157	1115493	63%	1950224	1327332	68%	1623399	1049093	65%

आरेख क्रमांक 1
दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक




रेखाचित्र का स्पष्टीकरण :-

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष में 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत कुल 3040797 श्रमिकों में से 1888742 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया जो कुल का 62: है वर्ष 2013-14 में कुल श्रमिकों की संख्या 3511640 है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 2278381 है जो कुल का 65: है इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में कुल 1764157 श्रमिक है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 1115493 है जो कुल का 63: है वर्ष 2015-16 में 1950224 कुल श्रमिक में से 1327332 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया है जो कुल का 68: है तथा वर्ष 2016-17 में भी कुल 1623399 श्रमिक है जिसमें 1049093 महिला श्रमिकों ने रोजगार प्राप्त किया जो कि कुल का 65: है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 33: आरक्षण से अधिक है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 2
मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण
वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक

वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय
2008-09	57.63
2009-10	88.46
2010-14	110.54
2011-12	120.70
2012-13	131.06
2013-14	145.23
2014-15	155.53
2015-16	154.46
2016-17	160.95

आरेख क्रमांक 2
मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण
वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक



तालिका का स्पष्टीकरण :-

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत देय मजदूरी, मजदूरी अधिनियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2008-09 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय 57.63 रुपये, वर्ष 2009-10 में 88.46, वर्ष 2010-11 में 110.54, वर्ष 2011-12 में 120.70, वर्ष 2012-13 में 131.06, वर्ष 2013-14 में 145.23, वर्ष 2014-15 में 155.53, वर्ष 2015-16 में 154.46 व वर्ष 2016-17 में 160.95 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय निर्धारित की गई है। इस प्रकार मनरेगा में मजदूरी वृद्धि से महिला श्रमिकों की शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है।

उपलब्धियाँ :-

- छत्तीसगढ़ राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन काम की गारंटी तथा महिलाओं की प्रसूति पर एक माह अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है।
- दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- दुर्ग जिले को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कृत किया गया है।
- दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत को 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

समस्याएँ :-

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।
- महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो के द्वारा गड़बड़ी की जाती है।
- मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से होता है। अतः महिला श्रमिकों को बैंकों की औपचारिकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती है।
- महिला श्रमिकों की फर्जी मस्टर रोल बनाया जाता है जिससे महिलाएँ योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती हैं।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है।
- महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- ठेकेदारों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
- महिलाओं को ग्रामीण सीमा के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

समाधान :-

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 या ज्यादा बच्चों हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए और झूलाघर की देखरेख के लिए महिला श्रमिक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।
- महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई जालसाजी को जान सकें।
- महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंकों व डाकघरों को स्वयं आगे आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित औपचारिकताएँ पूरी करनी चाहिए।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
- ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के 05 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुझाव:-

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- सरकार को ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक लाभांशित हो सकें।
- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
- योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौरपर की जानी चाहिए जिससे कार्यों का विशिष्टिकरण होगा जिसका लाभ श्रमिकों व सरकार दोनों को प्राप्त होगा।
- ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते हैं उन कार्यों पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।
- मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इस योजना का ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के माध्यम से ही दुर्ग जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा दुर्ग जिले को सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा है, महिलाओं का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो महिलाओं का जीवित रखती है।

संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र-पत्रिकाएँ

1. शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008.
2. Mehta, G.S. Management of Mgnrega, The Write to Work.
3. Ranjan, Annita, Mgnrega and Women Empowerment.
4. Puthenkalam, Joseph John, Human Development Strategy of Mgnrega.
5. Purohit, Ashok, Mgnrega and Rural Development.
6. फड़िया, डॉ. बी.एल., शोध पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन
7. जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
8. यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास.
9. पटेल, डी.सी. (2015). छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन
10. झा, विभाष कुमार, नैयर, डॉ. सौम्या, छत्तीसगढ़ समग्र
11. राय, पारसनाथ, राय, सी.पी. (2010-11). अनुसंधान परिचय
12. Mgnrega Sameeksha An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, 2006-2012.
13. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006-2012.
14. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका
15. आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14
16. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2013 की दिशा निर्देश
17. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2007 की दिशा निर्देश
18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम समीक्षा 2006-2012
19. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12
20. जिला पंचायत, दुर्ग
21. दैनिक समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया, हरिभूमि, अमृत संदेश, अग्रदूत
22. साप्ताहिक समाचार पत्र : रोजगार और निर्माण, Employment News

Website :

www.mgnrega.cg.gov.in

www.nrega.nic.in



Dr. Seema Jaiswal

Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya , Junwani, Bhilai.

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org